<u>न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :- अंकुर गुप्ता (आर.जे.एस.)</u>

<u>नियमित दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या :- 685/2018</u>

<u>सी॰ आई॰ एस॰ नंबर :- 685/2018</u>

सरकार

--परिवादी

बनाम

शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम, उम्र 23 वर्ष, निवासी ब्रह्मपुरी, हाल कब्रिस्तान, नैनवा रोड, बून्दी थाना कोतवाली, जिला बून्दी (राज.)

--अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम</u>

<u>उपस्थित:-</u>

(1) सरकार की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीतू जांगिड।

(2) श्री नवेद केसर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

<u>:: निर्णय ::</u> **<u>दिनांक: 26.05.2026</u>**

1- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.02.2018 को समय लगभग 01.00 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार परिहार एस.आई. थाना कोतवाली बून्दी मय हमराही जाप्ता महेश कानि. एवं मनोज कानि. के साथ थाने से रवाना होकर गश्त एवं अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु गोपाल सिंह प्लाजा पहुंचे, जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मीरा गेट चौराहा से गौशाला की तरफ नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत करवाकर वह मय जाप्ता रवाना होकर मीरा गेट चौराहा पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा, जिसे जाप्ता की मदद से घेरा देकर समय 01.00 पी.एम. पर पकड़ा गया तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 23 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवा रोड बून्दी थाना कोतवाली जिला बून्दी होना बताया। उक्त व्यक्ति के हाथ में एक धारदार नंगी तलवार थी।

अभियुक्त से उक्त तलवार को अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा गया तो उसने कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। अभियुक्त की तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलाश की गई किन्तु कानूनी पेचीदगियों के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर हमराही जाप्ता महेश कानि. एवं मनोज कानि. को गवाह मामूर कर अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक नंगी धारदार तलवार बरामद हुई, जिसके धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी एवं मूंठ की लम्बाई 16 सेमी पाई गई, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धारदार तलवार को बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रखना धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने से उक्त तलवार को मौके पर ही बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू को बाद आगाये जुर्म अदम अजखाल जमानत गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद कार्यवाही थाना पर आकर मुकदमा संख्या 46/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया..... इत्यादि।

2- उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बून्दी द्वारा मुकदमा संख्या 46/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर उक्त धारा के अपराध के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया।

3- दिनांक 19.07.2018 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहान के बयान दर्ज करवाए गए हैः-

अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
1.	आशिक हुसैन	अनुसंधान अधिकारी
2.	महावीर प्रसाद सैनी	मालखाना इंचार्ज
3.	अशोक परिहार	परिवादी/जप्ती अधिकारी
4.	मनोज कुमार	फर्दजप्ती, फर्दगिरफ्तारी एवं नक्शा मौका
5.	महेश कुमार	फर्दजप्ती, फर्दगिरफ्तारी एवं नक्शा मौका

5- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए गए हैः-

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श की पहचान/साबित करने वाला गवाह
1.	नक्शा मौका	पी.डब्ल्यू 01, 04, 05
2.	राज्य सरकार की अधिसूचना	पी.डब्ल्यू 01
3.	नकल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 01, 02
4.	चाक एफआईआर	पी.डब्ल्यू 03
5.	फर्द गिरफ्तारी	पी.डब्ल्यू 03, 04, 05

6- दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के संबंध में धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिस पर अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर चाहा किन्तु कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की।

7- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया। हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(i) क्या दिनांक 15.02.2018 को समय 01.00 पी.एम. पर मीरा गेट चौराहा बून्दी में अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू के आधिपत्य/कब्जे से एक धारदार नंगी तलवार, जिसके धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी एवं मूंठ की लम्बाई 16 सेमी थी, बरामद हुई तथा उसे रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था, जिससे अभियुक्त ने धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

(ii) यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है?

8- अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

9- जिसके विरोध में अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में आपसी विरोधाभास है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये है तथा अभियुक्त को झूठा मुकदमा बनाया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू.3 अशोक परिहार तहरीरी रिपोर्ट, फर्दजप्ती, गिरफ्तारी का गवाह होकर स्वयं परिवादी है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.02.2018 को थाना कोतवाली बून्दी में एसआई के पद पर तैनात था। उस दिन कानि. मनोज कुमार व महेश कुमार के साथ गश्त में बून्दी सिटी टोल प्लाजा पर था। जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर गौशाला से मीरा गेट चौराहा की तरफ

गया है। उक्त सूचना पर मय जाप्ता जीप से रवाना होकर मीरा गेट चौराहा पहुंचा। जहां पर एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर पुलिस जीप को देखकर भागने लगा तो जाप्ते की मदद से 01 पी.एम. पर पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवा रोड बून्दी का होना बताया। जिसके पास धारदार नंगी तलवार को अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञापत्र मांगा गया तो नहीं होना बताया। इस पर तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलाश की तो कानूनी पेचदगी के चलते कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ। इस पर हमराही जाप्ता को गवाह मामूर कर तलाशी ली। नंगी तलवार की धार के फल की लम्बाई 56 सेमी व मूंठ की लम्बाई 16 सेमी निकली। जो राज्य सरकार के मापदण्डों से अधिक होने के कारण शाकिर अली उर्फ गोलू के द्वारा अवैध रूप से नंगी धारदार तलवार अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से मौके पर ही जब्त कर कब्जा पुलिस लिया व मुलजिम शाकिर अली उर्फ गोलू को अदम अजखाल जमानत में गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। रवाना होकर थाना पर आया। मुकदमा दर्ज कर माल जमा मालखाना करवाया। मुलजिम को बाद जामा तलाशी बन्द हवालात कर मुकदमा संख्या 46/2018 की तफतीश आशिक हुसैन एएसआई के सुपुर्द की थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं मुलजिम के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि मीरागेट चौराहा से वह पहले वाकिफ था। मीरागेट चौराहा के आसपास काफी दुकानें है तथा यह स्थान काफी व्यस्ततम स्थान है। जाप्ते में से स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु किसी को तहरीर देकर नहीं भेजा था। आसपास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये प्रयास किया किन्तु कानूनी

पेचदगियों के चलते कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि कोई फर्द जप्ती नहीं बनाई हो अथवा मुलजिम को झूठे मुकदमें में गलत फंसाया हो। उक्त गवाह ने इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि तलवार मुलजिम से जब्त नहीं की गई हो।

11- गवाह पी.डब्ल्यू.4 मनोज कुमार फर्दजप्ती, फर्दगिरफ्तारी एवं नक्शा मौका का गवाह है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.02.2018 को थाना कोतवाली पर पदस्थापित था। उस दिन अशोक जी एसआई के साथ वह और महेश कानि. गश्त हेतु रवाना होकर गोपाल सिंह प्लाजा पहुंचे जहां पर अशोक जी को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मीरा गेट गौशाला में नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर मय जाप्ता रवाना होकर मीरा गेट पहुंचे तो एक व्यक्ति तलवार लेकर घूमता नजर आया जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा। जाप्ते द्वारा घेरा देकर रोका तो नाम पता पूछा। उसने अपना नाम शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवा रोड बून्दी होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचीदगी के कारण स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। उसे और महेश को गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो नंगी तलवार मिली जिसके धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी एवं मूंठ की लम्बाई 16 सेमी थी। राज्य सरकार के मापदण्ड से अधिक लम्बाई की तलवार हेतु अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। अवैध रूप से तलवार को अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से मौके पर ही तलवार को जब्त कर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मय मुलजिम के रवाना होकर थाने पर पहुंचे। मुलजिम को सुपुर्द पहरा संतरी कर बन्द हवालात किया गया। उसी दिन शाम को 06.00 बजे आशिक एएसआई ने उसकी एवं महेश की निशानदेही से घटनास्थल का

नक्शा मौका बनाया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं मुलजिम के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि घटना स्थल मीरा गेट चौराहा है जहां आसपास काफी दुकानें बनी हुई है। घटनास्थल बहता हुआ रोड है जहां वाहन व पैदल राहगीर आते जाते रहते है। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि जब्तशुदा हथियार लावारिश हालत में पड़ा हो अथवा मुलजिम को झूठा फंसाया गया हो।

12- गवाह पी.डब्ल्यू.5 महेश कुमार फर्दजप्ती, फर्दगिरफ्तारी एवं नक्शा मौका का गवाह है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 15.02.2018 को वह पुलिस थाना कोतवाली बून्दी में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह मनोज कुमार कानि. एवं अशोक कुमार एसआई के साथ थाने से गश्त एवं अवैध कार्य चैकिंग हेतु रवाना होकर गोपाल सिंह प्लाजा पहुंचे जहां पर एसआई साहब को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मीरा गेट चौराहे पर एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर घूमता नजर आया जो बावर्दी जाप्ते को देखकर भागने लगा। उसे घेरा देकर रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवा रोड बून्दी का होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु कोई भी स्वतंत्र गवाह कानूनी पेचीदगी के कारण बनने को तैयार नहीं हुआ। उसे एवं मनोज कानि. को गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो हाथ में नंगी तलवार मिली जिसके धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी व मूंठ की लम्बाई 16 सेमी थी। तलवार रखने हेतु अनुज्ञापत्र चाहा गया तो नहीं होना बताया। इस प्रकार अवैध रूप से तलवार को अपने कब्जे में रखना अपराध

धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से मौके पर तलवार को जब्त कर फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि जहां मुलजिम से बरामदगी बताई है वह स्थान मीरा गेट चौकी से करीब 200 फीट दूर है। वहां सिलसिलेवार दुकानें है तथा 100-200 लोग हमेशा मौजूद रहते है। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि बावक्त गिरफ्तारी मुलजिम ने कहा हो कि वह बेकसूर है एवं उससे कोई बरामदगी नहीं हुई हो।

13- गवाह पी.डब्ल्यू.2 महावीर प्रसाद सैनी मालखाना इंचार्ज है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 15.02.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 46/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में मुलजिम शाकिर अली के कब्जे से एक लोहे की नंगी तलवार जब्त कर श्री अशोक कुमार एएसआई द्वारा मालखाना जमा करवाने हेतु दी गई थी, जिसे उसने मालखाना रजिस्टर क्रमांक 80/2018 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। नकल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि उसने फल की लम्बाई एवं चौड़ाई नहीं नापी थी। तलवार जब मालखाना में ली उस समय तलवार नंगी धारदार थी। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि जब्त माल उसके सामने सीलबन्द नहीं किया गया हो।

14- गवाह पी.डब्ल्यू.1 आशिक हुसैन अनुसंधान अधिकारी है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 15.02.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन आईसी थान अशोक कुमार एसआई ने मुकदमा संख्या

46/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान बयान अशोक परिहार, महेश कुमार एवं मनोज कुमार के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 गवाहान की उपस्थिति में बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रति प्रदर्श पी-2 है जो संलग्न पत्रावली की। नकल मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-3 है जो संलग्न पत्रावली की। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम शाकिर अली के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली एसएचओ साहब को पेश की थी जिन्होंने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि चार्जशीट के सभी गवाह पुलिसकर्मी है। उसने मुकदमा की तफतीश के दौरान घटना की ताईद बाबत किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि मुलजिम से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ हो एवं टारगेट पूरा करने के लिये यह मुकदमा बनाया गया हो।

15- इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.3 अशोक परिहार प्रकरण में परिवादी व जब्ती अधिकारी है, जिसने अभियोजन कहानी की पूर्णरूप से ताईद करते हुए सशपथ कथन किये हैं कि सुसंगत दिवस पर वह मय जाप्ता मनोज कुमार कानि. व महेश कुमार कानि. वास्ते गश्त व अवैध कार्यवाही हेतु रवाना होकर गोपाल सिंह प्लाजा पहुंचे जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर सुसंगत स्थान पर पहुंचे जहां पुलिस को बावर्दी देखकर एक व्यक्ति भागने लगा जिसे हमराही जाप्ता की मदद से पकड़ा। तलाशी ली तो मुलजिम के कब्जे से एक धारदार नंगी तलवार बरामद हुई। तलवार की धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी एवं मूंठ की

लम्बाई 16 सेमी थी। तलवार रखने बाबत लाईसेंस एवं अनुज्ञापत्र चाहा गया तो मुलजिम ने नहीं होना बताया। दौराने जिरह उक्त गवाह ने ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया जिससे उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण पर अविश्वास किया जा सके। परिवादी के कथनों की पुष्टि पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है। इसी क्रम में जप्ती के गवाहान पी.डब्ल्यू.4 मनोज कुमार एवं पी.डब्ल्यू.5 महेश कुमार ने एक ही स्वर में परिवादी के कथनों की पूर्णरूप से पुष्टि करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि जब्ती अधिकारी अशोक परिहार ने उनके सामने अभियुक्त के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञप्ति के धारदार तलवार बरामद किया था तथा उनके सामने ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर नक्शा बरामदगीस्थल बनाया था। दौराने जिरह उक्त गवाहान ने ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया जिससे जब्ती संदिग्ध प्रतीत होती हो। उक्त गवाहान के कथनों की पुष्टि पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.2 महावीर प्रसाद सैनी मालखाना इंचार्ज है, जो प्रकरण में जब्तशुदा माल को मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने एवं जमा करने संबंधी कथन करता है। उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि प्रदर्शित मालखाना रजिस्टर से भी होती है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.1 आशिक हुसैन अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान के समर्थन में किथन किए है। उक्त गवाहों की साक्ष्य में भी ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन कहानी पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया जिससे अभियोजन कहानी संदेह की परिधि में आती हो। अभियुक्त अंवीक्षा के दौरान ऐसे किसी तथ्य को भी साबित करने में असफल रहा है कि न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान अभियुक्त से किसी प्रकार की रंजिश रखते हों एवं रंजिश एवं द्वेषतावश अभियुक्त को मिथ्या रूप से

प्रकरण में संलिप्त किया हो। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने ही आरोपित अपराध कारित किया है।

16- अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह उज्र लिया कि गवाहान के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है तथा अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा मुकदमा बनाया गया है। जिस पर न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों ने एक ही स्वर में अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास उभरकर सामने नहीं आया है जिससे अभियोजन कहानी में ऐसा सन्देह उत्पन्न होता हो। जहां तक स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का संबंध है इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रकरण में पुलिसकर्मी साक्षी होने से उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अभियुक्त का उपरोक्त तर्क अभियुक्त को कोई बल प्रदान नहीं करते हैं।

17- फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है कि दिनांक 15.02.2018 को समय 01.00 पी.एम. पर मीरा गेट चौराहा बून्दी क्षेत्र में अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू के आधिपत्य/कब्जे से एक धारदार नंगी तलवार बरामद हुई, जिसके धारदार फल की लम्बाई 56 सेमी थी तथा उसे रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। परिणामस्वरूप अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

:: आ दे श ::

18- अतः अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवां रोड बून्दी थाना कोतवाली जिला

बून्दी को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंकुर गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

<u>सजा का प्रश्नः-</u>

19- सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति होकर मजदूरी का कार्य करता है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है यदि उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो इससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे।

20- विद्वान अभियोजन अधिकारी ने विरोध कर कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न मामलों के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड है। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

21- उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>:: दण्डादेश ::</u>

22- अतः अभियुक्त शाकिर अली उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ब्रहमपुरी हाल कब्रिस्तान नैनवा रोड बून्दी थाना कोतवाली जिला बून्दी को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत तत्काल कारावास से दंडित नहीं कर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत

लाभ दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/- रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस शर्त के साथ पेश करे कि इस अवधि में शांति व सदाचरण बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जायेगा। अभियुक्त को धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त 1,000/- रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करवाये। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दोषसिद्वी न होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के छः माह की अवधि के लिए 10,000/- रूपए की जमानत व इसी राशि के मुचलके प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णयाधीन, अपील ना होने की सूरत में बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी होवे।

(अंकुर गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

23- उक्त निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)